"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2010— अग्रहायण 12, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तोषिका सिन्हा पति मुकेश कुमार सिन्हा, उम्र-27 वर्ष, स्थायी निवासी-ग्राम बिरेतरा, पोस्ट - भाठागांव, तह. गुण्डरदेही, जिला दुर्ग (छ. ग.), हाल मुकाम - क्वांटर नं. - 3 आर, सड़क नं. एवेन्यू - डी, सेक्टर - 6 भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. तोषिका गजेन्द्र पिता टीकाराम गजेन्द्र था, विवाहउपरान्त मेरा नाम तोषिका सिन्हा पति मुकेश कुमार सिन्हा एवं घरेलू नाम मंजू सिन्हा हो गया. यह कि मेरे पति के सर्विस रिकार्ड एवं अन्यं अभिलेखो में मेरा घरेलू नाम भूलवश दर्ज हो गया है जो कि गलत है जिसे सुधार करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती तोषिका सिन्हा पति मुकेश कुमार सिन्हा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती मंजू सिन्हा पति-मुकेश कुमार सिन्हा स्थायी निवासी - ग्राम-बिरेतरा, पोस्ट-भाठागांव, तह.- गुण्डरदेही, जिला-दुर्ग (छ. ग.) हाल मुकाम-क्वाटर नं.- 3 आर. सड़क नं.- एवेन्यू-डी, सेक्टर-6 भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती तोषिका सिन्हा पति-मुकेश कुमार सिन्हा स्थायी निवासी - ग्राम-बिरेतरा, पोस्ट-भाठागांव, तह.- गुण्डरदेही, जिला-दुर्ग (छ. ग.) हाल मुकाम-क्वाटर नं.- 3 आर. सड़क नं.- एवेन्यू-डी, सेक्टर-6 भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विश्वनाथ राजपूत आ. स्व. प्रेमनाथ प्रभु, आयु-46 वर्ष, निवासी-13/बी, सड़क 38, सेक्टर-4, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि वर्तमान में मैं बी. एस. पी. भिलाई में अग्निशमन सेवा विभाग में वरिष्ठ अग्निशमन केन्द्र अधिकारी के पद कार्यरत हूं एवं मेरे समस्त शैक्षणिक रिकार्ड व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम विश्वनाथ दर्ज हो गया है तथा अब मैंने अपने नाम के साथ अपना उपनाम "राजपूत" जोड़कर अपना नाम "विश्वनाथ राजपूत" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब से मुझे विश्वनाथ राजपूत आ. स्व. प्रेमनाथ प्रभु के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
विश्वनाथ आ. - स्व. प्रेमनाथ प्रभु निवासी - 13/बी., सड़क - 38 सेक्टर - 4, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	विश्वनाथ राजपूत आ. - स्व. प्रेमनाथ प्रभु निवासी - 13/बी., सड़क - 38 सेक्टर - 4, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/2028.—सामूहिक मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, लाखासार पं. क्र. 3948 का श्री एन. के. कश्यप, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड-लोरमी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. समिति को पुनर्जीवित करने की कार्यवाही करते हुए परिसमापक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन अनुसार संस्था कार्यशील है, तथा संचित लाभ में है. सदस्यों द्वारा समिति के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु कार्य किया जा रहा है. अतः समिति एवं सदस्य हित में परिसमापक के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अतः मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह (सी.) दिनांक 26-07-99 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत् सामूहिक मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, लाखासार, पं. क्र. 3948, जिला-बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 4948, दिनांक 25-02-2000 को आज दिनांक 25-10-2010 को पुनर्जीवित करता हूं एवं आगामी 03 माह तक संस्था के कार्य संचालन हेतु तात्कालिक संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.